निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

4.1 अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी

निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–31 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस अधिनियम के मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया है जो निम्नानुसार है :–

(1) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की, यथास्थिति, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उस अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षापायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना :

(ख) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना और

(ग) उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग की धारा 15 और 24 के अधीन यथा उपबंधित आवश्यक उपाय करना

(2) उक्त आयोगों को, उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वहीं शक्तियां होंगी, जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमश धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समनुदेशित की गई है ।

(3) जहॉ किसी राज्य में, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है वहां समुचित सरकार उपधारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायें ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकेगी ।

धारा–32–शिकायतों को दूर करना –

(1) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का यथाशीघ्र निपटारा करेगा ।

(3) स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा (3) अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन की गई अपील का विनिश्चय बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग या यथास्थिति 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के महत्वपूर्ण प्रावधान

- इस कानून के माध्यम से सभी 14 वर्ष तक के बच्चों को बिना भेद–भाव के आठवीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के लिये विविध प्रावधान किये गये है ।
- इस कानून में निजी शालाओं को भी दुर्बल व अलाभित वर्ग के परिवार के बच्चों को प्रारंभिक कक्षा में कुल प्रवेश की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देने का प्रावधान है, जिस पर आने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा पूतिपूर्ति किया जाता है ।
- शिक्षक छात्र, अनुपात निर्धारित किया गया है ।
- अधोसंरचना विकास के लिये विविध प्रावधान किये गये हैं ।
- शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये भी आवश्यक व्यवस्था करने के प्रावधान किये गये हैं।
- शारीरिक प्रताड़ना को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है ।
- इस कानून के लागू होने के बाद से अब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का कानूनी हक है।
- कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बच्चे को प्रवेश देते समय किसी प्रकार का फीस नहीं लेगा और बच्चे या संरक्षक किसी प्रकार की अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नही रहेगें। यदि विद्यालय या व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो जुर्माना एवं दंड का प्रावधान है ।
- प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए किसी बच्चे की आयु का प्रमाण जन्म – मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र से लिया जावेगा। किसी बच्चे की आयु के सबूत न होने पर भी विद्यालय में प्रवेश दिया जावेगा।